


न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश लिंक कॉर्ट शीता (म.प्र.)

304



R 5105-II/17

निगरानी प्रकरण क्रमांक

1/2016

बोरेन्द्र सिंह तनय श्री हिन्छवहोरन सिंह चौहान उम्र 38 साल पेशा खेती निवासी  
ग्राम लोनहा तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0 ————— निगरानीकर्ता

बनाम,

- 1- सुखरजुआ पत्नी स्व0 गोविन्द साकेत  
2- इमलाल तनय स्व0 गोविन्द साकेत .  
3- समकुमार तनय स्व0 सतई साकेत  
4- रामबहोर तनय स्व0 सतई साकेत

सभी निवासी ग्राम लोनहा तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0  
क्रमांक 5- शास्त्र म0११७ अंतर्फे जिलादपड़न भरोदा रवि भी  
अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार  
तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0 द्वारा प्रकरण  
क्रमांक- 14 / 34-19 / 93-94 में चारित आदेश  
दिनांक- 8.7.1994.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व  
संहिता 1959

दात्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत है :-

यहकि प्रस्तुत की जा रही निम्नांकित के निराकरण ऐतु प्रस्तुत  
व्यवस्थापन के प्रासंगिक तथ्यों का विवरण निवेदित किया जाना आवश्यक है जो  
इस दस्तावेज़ के -

Saral WY 91

मेरुषी

1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-सीधी

क्रमांक निग05105 / II / 2017

वीरेन्द्र सिंह / सुखरजुआ साकेत

(1)

(2)

(3)

23.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रलाल सोंधिया  
उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील  
चुरहट के प्रकरण क्रमांक 14/अ-19/1993-94 में पारित आदेश  
दिनांक 08.07.1994 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व  
संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब  
नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा  
54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध  
सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु  
कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु  
दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।

W  
  
(बी.एम.शास्त्री),  
सदस्य

A  
  
\_\_\_\_